उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना/विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती–2022

पीईटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन

संख्या–पीआरपीबी–एक–3(39)/2023 पार्ट–4(2) (विज्ञप्ति) दिनांक–फरवरी 27 ,2025

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उ0प्र0 पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती–2022 के अन्तर्गत अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल रहे **अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण की कार्यवाही दिनांक 07.03.2025 से प्रारम्भ हो रही है।**

2– उपरोक्त सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड किये जाने का लिंक बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb.gov.in पर **दिनांक 27.02.2025** को उपलब्ध कराया जायेगा, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें।

3– यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है, तो वह हेल्पलाइन नम्बर–**044–47749013** पर सम्पर्क कर सकता है।

4– उत्तर प्रदेश पुलिस में उ0प्र0 पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक एवं कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती–2022 की विज्ञप्ति दिनांकित 06.01.2022 एवं संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की **शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निम्नवत् प्रकिया निर्धारित** की जाती है:–

1. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी । शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी0 की दौड़ 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थी को 2.4 किमी0 की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी । जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे भर्ती के लिये पात्र नहीं होंगे ।
2. यह परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित एक समिति द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत् है :–

   (क)– जनपद/कमिश्नरेट के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक उप जिलाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) ।

   (ख)– जनपद/कमिश्नरेट के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी ।

   (ग)– जनपद/कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक पुलिस उपाधीक्षक ।

   जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले/कमिश्नरेट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्ति अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे ।

3. समिति द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी । सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं प्रतिरूपण (Impersonation) से बचने के लिये किया जायेगा ।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी ।

5. शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

6. अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिये गये दिनांक और समय पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर वैध मूल पहचान पत्र (ई–आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस) एवं मूल आधार कार्ड के साथ परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हों । अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गये हैं, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को तद्नुसार भिज्ञ कर लें तथा निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। प्रवेश पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु सम्बन्धित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये परीक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है । डाक, ई–मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा गठित समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को दिये जाने वाले प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित की गयी दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक के पश्चात की कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के बाद उसके द्वारा दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा ।

8. परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षा के लिये अपील नहीं की जा सकेगी ।

अपर सचिव, भर्ती
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।